संख्या- 7/2016/106/64-2-2016-1(66)/2006

प्रेषक,

डा0 हरिओम,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 अप्रैल, 2016

विषयः- अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा संचालित अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के आवेदन-पत्रों का त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शिता के साथ निस्तारण कर उन पर स्वीकृति एवं अस्वीकृति की कार्यवाही करते हुए पात्र अभ्यर्थियों को समय से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 से उक्त योजना में लाभार्थियों से ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित कर इंटरनेट आधारित प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृति एवं सहायता वितरण करने की व्यवस्था लागू की जा रही है।

1. वित्तीय सहायता के लिये पात्रता:

i उपर्युक्त के सम्बन्ध में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिये अर्थात शहरी क्षेत्र में रू0- 56,460/- प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0-46080/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ii वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

iii अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा आन-लाइन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।

iv विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।

v पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी।

vi एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।

2. बजट आवंटन

i पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा जनपद में संबंधित वर्गों की जनसंख्या तथा उस वर्ग में व्याप्त गरीबी को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जनपदवार नोशनल आवंटन किया जायेगा तथा उक्त आवंटन की 50 प्रतिशत की राशि अप्रैल माह में जनपद को अवमुक्त कर दी जायेगी।

ii यदि किसी जनपद में आवंटित बजट के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में आवेदन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमास में पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उक्त जनपद के अवशेष बजट को किसी अन्य जनपद में आवश्यकतानुसार पुर्नआवंटित कर सकेंगे।

3. आनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया:

i योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा एन0आई0सी0 के सहयोग से विकसित किये गये सॉफ्टवेयर पर पात्र आवेदकों द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट http://backwardwelfare.up.nic.in पर लॉगिन करके ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने के उपरान्त लाभार्थियों को ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

ii आवेदक द्वारा अपना पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र जन-सुविधा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर), जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं भरा जा सकता है।

iii लोकवाणी के माध्यम से स्थापित "जन-सुविधा केन्द्रों" के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने की स्थिति में आवेदक को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम् शुल्क जन-सुविधा केन्द्र प्रभारी को भुगतान करना होगा।

iv ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। यदि आवेदक द्वारा कोई प्रविष्टि गलत दर्ज कर दी गयी है तो आवेदक द्वारा दर्ज प्रविष्टियों में आवेदन पत्र अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट (Submit) करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।

v शादी हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात् तक करना अनिवार्य होगा।

vi आवेदन पत्र के साथ आवेदक तथा आवेदक की पुत्री, जिसकी शादी की तिथि निर्धारित हो चुकी है, के आधार कार्ड, आवेदक का आय प्रमाण-पत्र (यदि आवेदक बी0पी0एल0 सूची में है, तो सम्बन्धित सूची की छायाप्रति), यदि सोशल सेक्टर की पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत आवेदक लाभान्वित हो रहा है तो पेन्शनर आई0डी0 सहित पेंशन धारक होने के प्रमाण-पत्र से संबंधित विवरण ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित करना तथा संलग्नकों की छायाप्रति हार्डकापी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक आवेदन पत्र में भरना तथा हार्डकापी के साथ छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। योजनान्तर्गत विधवा/विकलांग व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के मामलों में वरीयता दिये जाने की व्यवस्था है, अतः सम्बन्धित आवेदकों को आवेदन पत्र में उक्त का विवरण अंकित करने के साथ साक्ष्य रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र या विकलांग होने पर सक्षम स्तर से निर्गत विकलांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना एवं ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। सी0बी0एस0 बैंक खाते के पासबुक (आई0एफ0एस0 कोड सहित) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

vii लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में खोला जाएगा, जो "कोर बैंकिंग सिस्टम" के अधीन हैं, जिन्हें आई0एफ0एस0 कोड प्रदत्त है तथा पी0एफ0एम0एस0 पर पंजीकृत हैं ताकि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके खातों में सीधे धनराशि अंतरित की जा सके।

viii ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरान्त संबंधित सेवा-प्रदाता एजेन्सी के इस कार्य हेतु नामित कार्मिक द्वारा आवेदक को भरी गयी प्रविष्टियों के संबंध में पूरी जानकारी पढ़कर सुनाई जायेगी एवं उसके संतुष्ट होने के उपरान्त ही उसके आवेदन पत्र को सबमिट किया जायेगा।

ix ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते समय आवेदक को बिन्दु-अप में उल्लिखित आधार कार्ड/अन्य मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र / आय से सम्बन्धित प्रपत्र, अन्य पिछड़ी जाति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

x सम्बन्धित आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करके उसपर यथा स्थान हस्ताक्षर/निशानी अगूंठा बनाकर सभी आवश्यक संलग्नकों यथा-आधार कार्ड/अन्य मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, पुत्री का मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, शादी की तिथि निर्धारित होने का प्रमाण-पत्र, विधवा/विकलांग होने की स्थिति में तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं बैंक-खाता

सम्बन्धी प्रपत्र की हार्ड कापी पर भी पुष्टिस्वरूप अपने हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा लगाकर साथ में संलग्न करते हुए आवेदक द्वारा हार्ड कापी शादी हेतु अनुदान से संबंधित आवेदन-पत्र जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर अनिवार्यतः जमा किया जाएगा तथा सम्बन्धित कार्यालय से निर्धारित प्रारूप पर "कम्प्यूटर-जनरेटेड" प्राप्ति-रसीद प्राप्त की जायेगी।

xi जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में ऑनलाईन भरे गये जिन आवेदन-पत्रों की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों सहित प्राप्त होती है तथा जिन्हें कम्प्यूटर जेनरेटेड प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी जाती है, उसे ही वरीयता क्रम में प्राथमिकता दी जायेगी। उदाहरणस्वरूप-यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऑनलाईन आवेदन दिनांक 10 अप्रैल को की जाती है तथा कम्प्यूटर जेनरेटेड प्राप्ति रसीद दिनांक 09 मई को प्राप्त की जाती है और दूसरे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऑनलाईन आवेदन दिनांक 20 अप्रैल को की जाती है और कम्प्यूटर जेनरेटेड प्राप्ति रसीद दिनांक 25 अप्रैल को प्राप्त की जाती है, तो दिनांक 20 अप्रैल को ऑनलाईन आवेदन करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।

4. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी का दायित्व:

i जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये आवेदक के डाटा का मिलान हार्ड-कापी से किया जाएगा एवं मिलान करने के उपरान्त उसके आवेदन-पत्र को ऑनलाईन ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन-पत्रों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के लॉगिन आई0डी0 पर तथा शहरी क्षेत्र के आवेदकों के आवेदन पत्रों को सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के लॉगिन आई0डी0 पर शादी की तिथि तथा उक्त तिथि के समय वधू की आयु से संबंधित प्रमाण-पत्रों, विधवा/विकलांग होने की पुष्टि सम्बन्धी कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र हार्ड कॉपी सहित कार्यालय में प्राप्त होने के 07 कार्यदिवसों के अंदर अनिवार्यतः अग्रसारित की जायेगी।

ii जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाईन तथा हार्डकापी में प्राप्त आवेदन पत्रों में उल्लिखित तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र का बोर्ड आफ रेवेन्यू की साईट http://bor.up.nic.in से सत्यापन किया जायेगा। इसी प्रकार जिन अभ्यर्थियों द्वारा आय प्रमाण-पत्र के रूप में सोशल सेक्टर की पेंशन प्राप्त होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है उसका http://sspy-up.gov.in की साईट पर जाकर सत्यापन किया जायेगा तथा 07 कार्यदिवसों के अंदर अनिवार्यतः संबंधित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित किया जायेगा।

iii सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि वह शादी अनुदान से सम्बन्धित आवेदन पत्रों में उल्लिखित उपर्युक्त बिन्दुओं पर अधीनस्थ कर्मियों से सत्यापन कराकर 15 दिन के अन्दर तदविषयक स्पष्ट रिपोर्ट हार्डकापी में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा अपने लॉगिन आई0डी0 एवं डिजिटल हस्ताक्षर से अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेंगे।

iv उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से कन्या की उम्र एवं शादी की तिथि से सम्बन्धित विवरण की पुष्टि हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेखों एवं प्रपत्रों के आधार पर आवेदकों को सहायता स्वीकृति हेतु संस्तुति/असंस्तुति की कार्यवाही 15 दिन के अन्दर ऑनलाईन सर्वर पर डिजिटल सिग्नेचर से किया जायेगा।

v समयबद्ध कार्यवाही हेतु 15 दिन के पश्चात् लम्बित आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को अनुस्मारक "एस0एम0एस0" भेजा जायेगा। तत्पश्चात् कोई कार्यवाही न होने की स्थिति में 07 दिनों के उपरान्त पुनः द्वितीय अनुस्मारक "एस0एम0एस0" भेजा जायेगा। यदि उपरोक्त निर्धारित अवधि में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति अथवा निरस्तीकरण की सूचना हार्ड-कापी में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उसका समयबद्ध रूप से निस्तारण कराये जाने हेतु जिलाधिकारी को ऐसे प्रकरणों की सूची प्रस्तुत की जायेगी तथा आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

vi योजनान्तर्गत समयबद्ध ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तहसील/विकास खण्ड स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से कराकर उनके सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

vii खण्ड विकास अधिकारियों तथा उप जिलाधिकारियों के माध्यम से उपरोक्तानुसार सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने एवं सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों के ऑनलाईन सत्यापन के उपरान्त उपरोक्तानुसार डिजिटल सिग्नेचर से ऑनलाईन अग्रसारित आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में साफ्टवेयर में यह व्यवस्था होगी कि पात्र अभ्यर्थियों की सूची अपेक्षित विवरण सहित ऑनलाईन जेनरेट करते हुए 15 दिन के अन्दर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा तत्सम्बन्ध में सम्बन्धित योजनान्तर्गत पूर्व निर्धारित जनपद स्तरीय समिति की बैठक कर हार्डकापी पर स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करते हुए स्वीकृति से सम्बन्धित मामलों में सम्बन्धित आवेदन-पत्रों को ऑनलाईन डिजिटल सिग्नेचर से पोर्टल पर प्रमाणित करना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार जो आवेदक अपात्र पाये जायेंगे, उनका भी विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करते हुए पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर से कारण सहित रिजेक्ट करना सुनिश्चित करेंगे।

viii शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों में से विधवा/विकलांग की पुत्रियों की शादी के मामलों में वरीयता दिये जाने के साथ-साथ "प्रथम आगत प्रथम पावत" के अनुसार सहायता स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। अतः साफ्टवेयर में इस बात का स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि जब तक उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच आदि की कार्यवाही कर उनकी पात्रता/अपात्रता का परीक्षण कराकर स्वीकृति/अस्वीकृति कर निस्तारण न कर दिया जाय तब तक बाद में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तथा अभ्यर्थियों के प्रपत्रों के सत्यापन हेतु नामित सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही प्राथमिकता पर किया जाना अनिवार्य है।

ix शादी अनुदान की स्वीकृति के पश्चात सम्बन्धित मामलों में सम्बन्धित लाभार्थियों को नियमानुसार देय आर्थिक सहायता की धनराशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से सर्वर पर डाटा अपलोड करने एवं तदुपरान्त रिस्पान्स प्राप्त होने पर तत्सम्बन्ध में पूर्व से प्रचलित व्यवस्थानुसार ईपेमेंट के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से की जाएगी।

x योजनान्तर्गत "प्रथम आगत प्रथम पावत" सिद्धांत के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

xi वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं की जायेगी।

5. जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति

शादी अनुदान की योजनाओं के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया के सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

i	जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
ii	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
iii	समस्त उपजिलाधिकारी	सदस्य
iv	समस्त खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
v	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार जनपद स्तरीय समिति में अन्य अधिकारियों को भी सम्बद्ध कर सकते हैं। समिति में मुख्यतः निम्नवत् बिन्दुओं पर विचार कर कार्यवाही की जाएगीः-

i जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

ii सदस्य सचिव द्वारा जनपद स्तरीय समिति की बैठक में सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि, कुल प्राप्त आवेदन पत्र, भुगतान की गयी धनराशि, नये लाभार्थियों को सहायता स्वीकृति की स्थिति, सत्यापन की स्थिति तथा ऑनलाईन भरे गये आवेदन-पत्रों में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही हेतु लम्बित आवेदन-पत्रों की प्रगति आदि का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

6. विलम्ब की स्थिति में वांछित कार्यवाही:

ऐसे सभी प्रकरण जहाँ ऑनलाईन अग्रसारित आवेदन पत्रों का निस्तारण सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है, तो जिलाधिकारी जनपद स्तरीय अधिकारी के माध्यम से उन प्रकरणों की 15 दिनों के अंदर जांच कराकर अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से कार्यवाही अनुमन्य करने की व्यवस्था भी की गयी है। विलंब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी सहित संबंधित तहसील/विकास खण्ड में इस प्रयोजनार्थ नामित नोडल अधिकारी के विरूद्ध अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाय।

7. शादी अनुदान स्वीकृति हेतु जनपद स्तरीय समिति:

शादी अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

i	जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
ii	मुख्य विकास अधिकारी-	उपाध्यक्ष
iii	जनपद के समस्त मा0 सांसदगण अथवा उनके नामित प्रतिनिधि	सदस्य
iv	जनपद के समस्त मा0 विधायकगण अथवा उनके नामित प्रतिनिधि	सदस्य
v	जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी	सदस्य
vi	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

समिति के सदस्य-सचिव द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूची सुसंगत सूचनाओं सहित तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा उपलब्ध बजट के सापेक्ष पात्र व्यक्तियों की सूची पर समिति का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रक्रियानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए सहायता भुगतान किया जाएगा।

8. वित्तीय सहायता की धनराशि:

वित्तीय सहायता की देय धनराशि प्रति शादी रू0 20,000/- (रू0 बीस हजार मात्र) होगी। एक परिवार में अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी।

9. अभिलेखों का रख-रखाव:

इस सम्बन्ध में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर निम्न अभिलेखों का रख-रखाव अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगाः-

1) आवेदन पत्र प्राप्ति पंजी एवं उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त प्रपत्र पत्रावली।
2) जिला स्तरीय समिति के स्तर से स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की पंजी एवं पत्रावली।
3) भुगतान की गयी धनराशि के विवरण से संबंधित पूर्व निर्धारित पंजी।

उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर लाभार्थियों के आवेदन पत्रों की हार्ड कापी एवं संबंधित पंजिकाओं को अद्यतन संरक्षित करने तथा भुगतान के उपरान्त पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी लाभार्थियों की

सूची से भुगतान पंजी को अद्यतन करने, संबंधित डेटा को डी0वी0डी0 में सुरक्षित एवं संरक्षित करने तथा आडिट कराने का दायित्व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का होगा।

10. योजना का प्रचार-प्रसार:

शादी अनुदान योजना में ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत उपरोक्त निर्देशों का व्यापन प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिसमें आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया के साथ-साथ पात्रता की शर्तों, देय सहायता, आवेदन-पत्र भरने के समय आवश्यक प्रपत्रों आदि की विस्तृत जानकारी होगी। आवश्यकतानुसार होर्डिंग, पोस्टर, हैण्डविल आदि के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा तथा सम्बन्धित प्रचार-प्रसार पर होने वाला व्यय सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक/कार्यालय व्यय मद में आवंटित धनराशि से किया जाएगा।

11. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जनपद के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करेगें कि समस्त उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष साफ्टवेयर का प्रदर्शन करा दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में उनकी जिज्ञासा का समाधान हो जाए। किसी भी तकनीकी समस्या का निराकरण जनपद के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करेंगें।

भवदीय,

(डा0 हरिओम)
सचिव

संख्या- –7 /2016/106/64-2-2016-1(66)/2016 2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ।
9. समस्त उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

राकेश कुमार
अनुसचिव